सम्मन/वारन्टों की तामील, स्थाई वारन्ट, तलाशी वारन्ट रजिस्टर का संधारण, कोर्ट मुंशी के कर्त्तव्य

Content

Time: 90 min

1. सम्मन/वारन्टों की तामील के सम्बन्ध में– परिपत्र 3435–3512 दिनांक–11.02.2019
2. स्थायी वारंट व तलाशी वारंट के रजिस्टर संधारण बाबत– परिपत्र 2848–908 दिनांक–27.02.2019
3. 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई– क्रमांक 208–67 दिनांक 11.01.2019
4. कोर्ट मुंशी के कर्त्तव्य– स्थाई आदेश 02/2019, क्रमांक 2503–80 दिनांक– 01.02.2019

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक : CID/CB/PRC/ परिपत्र/ 2019/ 3435-3512 दिनांक :– 11.02.2019

परिपत्र

विषयः– सम्मन/वारन्टों की तामील के सम्बन्ध में।

न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/वारन्टों को बाद तामील या अदम तामील संबंधित न्यायालय में समय पर पेश करना पुलिस अधिकारियों का कानूनी कर्त्तव्य है। पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर सम्मन/वारन्टों को बाद तामील या अदम तामील प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालयों द्वारा गम्भीर श्रेणी के अपराधों में भी साक्ष्य बन्द कर दी जाती है, जिससे प्रकरणों के निस्तारण में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक अवसरों पर विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारन्ट समय पर बाद तामील/अदम तामील न्यायालयों में नहीं भेजे जाते हैं जिसके फलस्वरूप थानाधिकारियों को न्यायालय से अनावश्यक कारण बताओ नोटिस मिलते हैं तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर क्षमा याचना करनी पड़ती है, कई बार पुलिस मुख्यालय पर भी अर्द्धशासकीय पत्र प्राप्त होते है।

इस संबंध में पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या व–15 (1) (6) सीआईडी/सीबी/विधि/95/2542–2611 दिनांक 19.04.1995, समसंख्यक पत्र क्रमांक 565–635 दिनांक 20.01.1998, र–9 (ख) (1) 59 सीआईडी/सीबी/विधि/99/ 602–44 दिनांक 15.02.1999, सीआईडी/सीबी/विधि/99/सम्मन–वारन्ट/2001/ 4622–69 दिनांक 21.07.2001 तथा परिपत्र संख्या 1/2002 दिनांक 05.03.2002 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के व्यतिक्रमण में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रत्येक थाने पर हैड मोहर्रिर द्वारा **तारीख पेशी वार** सम्मन–वारन्ट पंजिका संलग्न **प्रारूप संख्या–1** में संधारित की जाए ताकि पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले सम्मन/वारन्ट तारीख पेशी से पूर्व अदम/बाद तामील न्यायालय में प्रेषित किए जाने में कोई लापरवाही ना हो। **(प्रारूप संख्या–1)**
2. बीट कानि. की अपनी बीट के सम्मन, जमानती वारन्ट, स्थाई वारन्ट, भगौडे, घोषित अपराधी, वसूली वारन्ट की तामील करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बीट कानि. भी **तारीख पेशी वार** सम्मन/वारन्ट पंजिका का संधारण करेगा जिसका प्रारूप संलग्न है। **(प्रपत्र संख्या 2)**
3. पुलिस थाने पर प्राप्त प्रत्येक सम्मन/जमानती वारन्ट/गिरफ्तारी वारन्ट/वसूली वारन्ट/स्थाई वारन्ट/धारा 138 N.I. Act. के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस का विवरण राजस्थान पुलिस के वेब पोर्टल police.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाए।
4. सम्मन/जमानती वारन्ट/गिरफ्तारी वारन्ट/वसूली वारन्ट/स्थाई वारन्ट की तामील सर्वप्रथम संबंधित बीट कानि. को सुपुर्द की जाएगी तथा उसे तामील हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। इस एक सप्ताह की अवधि में अदम तामील रहने की स्थिति में बीट कानि. अदम तामील रहने के कारण सहित मूल सम्मन/वारन्ट बीट प्रभारी के सम्मुख लिखित में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात बीट प्रभारी द्वारा उक्त सम्मन/वारन्ट की तामील कार्रवाई की जाए। बीट प्रभारी को भी उक्त अदम तामील रहे सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। **(यदि तारीख पेशी में समयावधि शेष हो तो)**

   यदि बीट प्रभारी भी तामील नहीं करा पाता है तो वह एक सप्ताह की अवधि के उपरान्त मूल सम्मन/वारन्ट अदम तामील रहने के कारण सहित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। **यदि तारीख पेशी में अवधि शेष हो तो** उसके पश्चात थानाधिकारी उक्त

सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु स्वयं प्रयास करेंगे। यदि इसके पश्चात भी तामील नहीं हो पाती है तथा बीट कांनि./बीट प्रभारी के कथनों की पुष्टि होती है तो वारन्ट होने की दशा में धारा 82, 83 दं.प्र.सं. के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

5. तामील के समय संबंधित व्यक्ति का वर्तमान मोबाईल नम्बर व संभव हो तो वाहन नम्बर का पता लगाया जाए। यदि तामील समय पर नहीं हो पा रही है तो थानाधिकारी द्वारा उस मोबाईल नम्बर से उस व्यक्ति की वर्तमान लोकेशन पता करके तामील कराई जा सकती है।
6. बाद तामील सम्मन/वारन्ट को हैड मोहर्रिर थाना कोर्ट मुंशी के मार्फत सीधे ही न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा परन्तु अदम तामील सम्मन/वारन्ट थानाधिकारी के हस्ताक्षर से ही न्यायालय में पेश किये जाएं।
7. यदि तामील कुनिंदा सम्मन/वारन्ट अदम तामील लौटाता है तो वह यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि वांछित व्यक्ति अस्थाई रूप से निवास स्थान से बाहर गया हुआ है अथवा स्थाई रूप से। यदि कुछ समय के लिए बाहर गया है तो वह वापस कब तक लौटेगा तथा बाहर जाने वाले स्थान का पूर्ण पता भी ज्ञात कर अंकित करेगा।
8. तामीली प्रतिशत को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए जिन बीट कानि. के सम्मन, जमानती वारन्ट एवं गिरफ्तारी वारन्ट का तामील प्रतिशत क्रमशः 90%, 75% एवं 50% से कम हो, उन्हें प्रतिमाह नियत दिनांक को पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार उक्त तामीली प्रतिशत क्रमशः 95%, 85% एवं 60% से कम होने पर प्रतिमाह नियत दिनांक को बीट कानि. को वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ऐसे बीट कानि. से तामीली प्रतिशत कम रहने के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने की स्थिति में ऐसे बीट कानि. के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
9. रेंज महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस थानों की विजिट/निरीक्षण के समय सम्मन/वारन्ट के तामील के स्तर की समीक्षा आवश्यक रूप से करें व कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो फास्ट ट्रेक न्यायालय से प्राप्त होने वाले सम्मन/वारन्ट के तामील में आने वाली कठिनाईयों का स्वयं के स्तर पर निराकरण करें। न्यायालयों व अभियोज़कों को नोडल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में सूचित किया जाए। फास्ट ट्रेक न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील विशिष्ट तौर पर प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए।
11. सम्मन/वारन्ट का मासिक गोस्वारा पुलिस कर्मीवार तैयार किया जाए। अधिक तामील करने वाले पुलिस कर्मी को पुरस्कृत किया जाए व असंतोषजनक तामील करने वाले पुलिस कर्मी को चेतावनी दी जाए। तदोपरान्त सुधार न होने पर ऐसे पुलिस कर्मी को पुलिस लाईन में पदस्थापित करने पर विचार किया जाए।

(35)

12. सेवारत पुलिस अथवा अन्य शासकीय सेवा वाले अधिकारी/कर्मचारी को हर सूरत में तामील सुनिश्चित की जाए। यदि उनका स्थानान्तरण हो गया हो तो उनके वर्तमान पदस्थापन की जानकारी हासिल कर तामील की जाए। पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में यह जानकारी Web portal के Contacts लिंक पर प्राप्त की जा सकती है।
13. सेवानिवृत पुलिस अथवा अन्य शासकीय सेवाओं के सम्मन/वारन्ट प्राप्त होने पर यदि उनके निवास स्थान का पूर्ण पता ज्ञात नहीं हो तो पेंशन विभाग से मालूम किया जाए। यदि पेंशन विभाग द्वारा दिया गया पता गलत हो तो बैंक अकाउंट का नंबर प्राप्त कर बैंक के माध्यम से पता ज्ञात किया जाए।
14. मृत व्यक्ति के सम्मन/वारन्ट प्राप्त होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उस व्यक्ति से संबंधित समस्त अभियोगों के बारे में जानकारी हासिल कर, सभी में संलग्न करवाया जाए।
15. यदि वारन्ट अदम तामील है तो मफरूरी शहादत आवश्यक रूप से दी जाए एवं सम्पत्ति की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की जाए ताकि धारा 82–83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई पूर्ण की जाकर सम्पत्ति की कुर्की संभव हो सके।
16. यदि वारन्ट अदम तामील है एवं वारन्टी जमानत पर हो तो जमानत देने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाए तथा आवश्यक हो तो जमानत राशि जब्त कराने हेतु न्यायालय में धारा 456 दं0प्र0सं0 के तहत प्रार्थना की जाए।
17. बीट क्षेत्र से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के सम्मन/वारन्ट की तामील संबंधित बीट कानि. द्वारा करवाई जाए। अन्य थाना क्षेत्र अथवा अन्य जिलों के व्यक्ति के सम्मन/वारन्ट प्राप्त होने पर (Portal) के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने को सूचना भिजवाई जाकर तामील कार्रवाई की जाए।
18. अन्य राज्यों के सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस हेतु नजदीकी राज्यों के सम्मन वारंट की तामील का उत्तरदायित्व निकटवर्ती अन्य राज्यों के जिलों को दिया जाए। दूरस्थ राज्यों के लिये सुविधानुसार अन्य जिलों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जाए।

संलग्नः–**प्रोफार्मा 1 व 2**

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./प्रशिक्षण/प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर मय निदेशक आरपीए, जयपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस (एस.सी.आर.बी.) राज. को भेजकर लेख है कि उक्त संबंधित सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाए।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी./समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र संख्या–1

सम्मन वारन्ट पंजिका (तारीखवार)

तारीख पेशी

क्र.सं.	विवरण (सम्मन / ज.वा. / गिर.वा. / व.वा.	पंजिका क्रमांक	तामील कुनिन्दा अधिकारी / कर्मचारी का नाम, पद व बैल्ट नं.	तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर	बीट कानि. को सुपुर्द करने की दिनांक	बीट कानि. द्वारा बाद तामील पेश करने की दिनांक	बीट कानि. द्वारा ज्ञात किया गया मोबाईल नं. / वाहन नं.	अदम तामील की स्थिति में बीट प्रभारी को सुपुर्द करने की दिनांक	बीट प्रभारी द्वारा बाद तामील पेश करने की दिनांक	अदम तामील की स्थिति में थानाधिकारी को सुपुर्द करने की दिनांक	थानाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोटः– अदम तामील की स्थिति में 'A' व बाद तामील की स्थिति में 'B' अंकित करें।

प्रपत्र संख्या–2

पंजिका (तारीखवार)

तारीख पेशी

क्र.सं.	(सम्मन / ज.वा. / गिर.वा. / व.वा..	दस्तावेज का विवरण– राज्य / सरकार v/s अन्य	प्राप्ति दिनांक	तामील कराने की दिनांक	अदम तामील का कारण	अदम तामील बीट प्रभारी को सुपुर्द करने की दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	6	7	8	9

~~108~~ (112)

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्र.सं. 2848-908 दिनांकः- 27-02-2011

परिपत्र

विषयः- स्थायी वारंट व तलाशी वारंट के रजिस्टर संधारण बाबत ।

थानों के निरीक्षण एवं थानों / जिलों में पदस्थापित अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह जानकारी में आया है कि पुलिस थानों पर प्राप्त समस्त सम्मन / जमानतीय / गैर-जमानतीय वारंट का इन्द्राज इस कार्य के लिए निर्धारित रजिस्टर में किया जाता है परन्तु कई स्थानों पर स्थाई वारंट का इन्द्राज किसी रजिस्टर में नहीं किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सामान्यतः एक पत्रावली संधारित की जा रही है जिसमें मूल वारंट शामिल किया जाता है, यह स्थिति उचित नहीं है। राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 3.45 के अनुसार समस्त गिरफ्तारी वारंट एवं तलाशी वारंट का इन्द्राज पुलिस थाने के निर्धारित रजिस्टर में किया जाना अनिवार्य है। इनमें स्थाई वारंट भी शामिल हैं।

अतः समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के सम्मन / वारंट का इन्द्राज पृथक-पृथक श्रेणी-वार रजिस्टर संधारित कर किया जाए। पुलिस थानों में पूर्व से संधारित सम्मन / वारंट रजिस्टर के अतिरिक्त निम्न श्रेणियों के रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित किये जाएंगें -

1. स्थाई वारंट (यदि वांछित व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है तो यह तथ्य भी एक कॉलम में अंकित करें एवं राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 4.22 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जावे)
2. तलाशी वारंट

उक्त रजिस्टरों की पेशानी पूर्व से संधारित किए जा रहे वारंट रजिस्टर के अनुसार ही होगी। स्थाई वारंट के पुलिस थाने पर प्राप्त होने पर उसका इन्द्राज निर्धारित रजिस्टर में कर इसकी सूचना, मय रजिस्टर में दर्ज क्रमांक के, वारंट जारी करने वाले न्यायालय को अवश्य दें। समस्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्तानुसार कार्रवाई एवं रिकॉर्ड को नियमित रूप से अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

थानों में प्राप्त सम्मन / वारंटों का संबंधित न्यायालय से मासिक रूप से मिलान कराया जाए तथा यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए कि न्यायालय से प्राप्त समस्त सम्मन / वारंट का रजिस्टर में इंद्राज पाया गया है।

यह महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अनुमोदित है।

सदभावी,

27/2/11

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

(11)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान एवं समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
5. रक्षित पत्रावली।

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक : 208-67 दिनांक :- 11-01-2019

आदेश

विषय :– 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई।

किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकगणों में शांतियुक्त तथा भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उस क्षेत्र में स्थिति सक्रिय तथा वांछित अपराधियों एवं आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण अति–आवश्यक है। ऐसे सक्रिय एवं वांछित अपराधियों/असामाजिक तत्वों की गैर–कानूनी गतिविधियों के फलस्वरूप नागरिक गण में भय तथा असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। राज्य में ऐसे सक्रिय वांछित अपराधियों/असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

- प्रत्येक थाने द्वारा दिनांक 17.01.19 तक 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों का चयन किया जाए।
- प्रत्येक वृत्त द्वारा दिनांक 22.01.19 तक क्षेत्राधिकार के थानों द्वारा चयनित अपराधियों में से वृत्त स्तरीय 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों का चयन किया जाए।
- प्रत्येक जिले द्वारा दिनांक 28.01.19 तक वृत्त स्तरीय चयनित अपराधियों में से 10 जिला स्तरीय सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों का चयन किया जाए।
- प्रत्येक रेंज द्वारा दिनांक 04.02.19 तक क्षेत्राधिकार के जिलों में चयनित अपराधियों में से रेंज स्तरीय 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों का चयन किया जाए।
- उपरोक्तानुसार चयनित जिला स्तरीय/रेंज स्तरीय 10–10 सक्रिय वांछित अपराधियों की सूची **Master Mind** के माध्यम से सी.आई.डी (सी.बी) शाखा को प्रेषित की जाए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान द्वारा रेंज स्तरीय अपराधियों में से राज्य स्तरीय 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों का दिनांक 15.02.19 तक चयन किया जाएगा। इन राज्य स्तरीय वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित जिला पुलिस के साथ–साथ **S.O.G.** द्वारा भी प्रयास किये जाएंगे।
- जिला स्तरीय/रेंज स्तरीय एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर चयनित वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम की घोषणा की जाएगी। चयनित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु उसी उच्च स्तर पर ईनाम घोषित किया जाएगा।
- इन वांछित अपराधियों की सूची पुलिस थानों, कार्यालयों तथा राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर प्रमुखता से दर्शाई जाएंगी।
- इन अपराधियों की सूची में ऐसे अपराधियों के नाम का चयन नहीं किया जाए, जो अब सक्रिय नहीं हैं तथा लम्बे समय से उनका अता–पता नहीं है।
- इन वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दलों का गठन कर उन्हें गिरफ्तारी हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।
- वांछित अपराधी के गिरफ्तार होने पर उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाए।

उक्त सक्रिय वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को ही अंतिम कार्रवाई नहीं माना जाकर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई निम्न प्रकार की जाए :–

- वांछित अपराधियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए।
- गिरफ्तारी के पश्चात जमानत के प्रार्थना पत्र पर विचार के समय सम्पूर्ण आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत कर न्यायालय में जमानत नहीं देने हेतु पुरजोर प्रयास किये जाए।
- ऐसे अपराधियों के विरूद्ध एक से अधिक प्रकरण होने की दशा में वर्धित दण्ड (**Enhanced Punishment**) हेतु न्यायालय में विशिष्ठ रूप से निवेदन किया जाए।
- इनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 110 एवं **H.O. Act,** गुण्डा एक्ट, राजपासा एवं रासुका (**NSA**) के अन्तर्गत भी नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।

पुलिस थाना/वृत्त/जिला एवं रेंज स्तरीय चयनित इन अपराधियों की गिरफ्तारी की सूचना प्रति सप्ताह सोमवार को सी.आई.डी (सी.बी) को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/रेंज महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित की जाएगी।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (रेल्वेज) राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एस.सी.आर.बी.) को भेजकर लेख है कि उक्त संबंधित सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर भीं अपलोड की जाए।
7. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी./समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर/

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

अति–आवश्यक

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, सी.आई.डी. / सी.बी. / पी.आर.सी. / स्थाई आ. / 2019 / 2503–80 दिनांक– 01.02.2019

राज. जयपुर

स्थाई आदेश क्रमांक:– 02 / 2019

दिनांक 4/2/19 विषय:– कोर्ट मुंशी के कर्त्तव्य।

अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की प्रगति के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखी जाए। प्रत्येक थाने से प्रतिदिन एक कानि0 को न्यायालय में भेजा जाता है जिसे आमतौर पर कोर्ट मुंशी के नाम से जाना जाता है। कोर्ट मुंशी उसके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले अन्य कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य सम्पादित करेंगे:–

1. न्यायालय में डाक प्रस्तुत करना व न्यायालय की डाक लाना।
2. न्यायालय में चालान की पत्रावली ए.पी.पी. के माध्यम से प्रस्तुत करना।
3. न्यायालय में एफ.आर. की पत्रावलियाँ प्रस्तुत करना।
4. न्यायालयों में इत्तला रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
5. न्यायालयों में विभिन्न प्रकरणों में अभियुक्तों की जमानत होने की सूचना थानाधिकारियों को अविलम्ब प्रस्तुत करना।
6. न्यायालयों में जमानत प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सूचना संधारित करना।
7. किसी न्यायिक अधिकारी के अचानक अवकाश पर चले जाने की सूचना उस दिन साक्ष्य पर आने वाले अधिकारियों / गवाहों को देना जिससे उनका समय व्यर्थ न हो।
8. अभियुक्तों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सूचना संधारित करना।
9. न्यायालयों में अभियुक्तों से मिलने वाले लोगों की सूची प्रतिदिन प्रस्तुत करना।
10. न्यायालय में किसी भी वांछित अपराधी की उपस्थिति की सूचना थानाधिकारी को देकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करना।
11. न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की प्रतिलिपियाँ थानाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
12. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पंजिका का संधारण करना।
13. सुनवाई की दिनांक (तारीख पेशी) वार विचाराधीन प्रकरण पंजिका का संधारण करना।
14. पेशेवर जमानत देने वालों की सूचना थानाधिकारी को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रस्तुत करना।
15. प्रत्येक शनिवार को आगामी सप्ताह में तारीख पेशी पर उपस्थित होने वाले एम.ओ. अपराधियों की सूचना जिले के सभी थानाधिकारियों व उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना ताकि आवश्यक कार्यवाई की जा सके।
16. साधारण प्रकृति के प्रकरणों में चालान प्रस्तुत करते समय वारन्ट की तामील पर न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा अन्वीक्षा (Trial) के दौरान आपसी समझौते अर्थात राजीनामा अथवा अपराध संस्वीकृति (Confession) हेतु प्रेरित करना।

785
5-2-19